2023 का विधेयक सं.17

राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन) विधेयक, 2023

जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 31 का संशोधन.- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 2002 का अधिनियम सं. 16), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 31 की उप-धारा 1) में, -

i) द्वितीय परन्तुक के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''परन्तु यह भी कि जहां धारा 54 के अधीन किसी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करवायी जानी है या धारा 55 के अधीन जांच करवायी जानी है या धारा 55-क के अधीन निरीक्षण करवाया जाना है, वहां सोसाइटी के अभिलेखों, पुस्तकों और लेखाओं या इसके लिए अपेक्षित ऐसे किन्हीं अन्य दस्तावेजों को लेखापरीक्षा या जांच या निरीक्षण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपा जायेगा।'';

ii) विद्यमान उप-धारा 2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 2) यदि ऐसा कोई भी पदावरोही अधिकारी या सदस्य, अभिलेख और संपत्ति का प्रभार सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या समापक या, यथास्थिति, लेखापरीक्षा या जांच या निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपे जाने से इंकार करता है, या जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिये जाने, बिगाड़ दिये जाने, या नष्ट कर दिये जाने की संभावना है, या किसी सोसाइटी की निधियों और सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किये जाने की संभावना है, तो वहां रजिस्ट्रार को स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों और संपत्ति का अभिग्रहण करने की शक्ति होगी। इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख और संपत्ति सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या समापक अथवा लेखापरीक्षा या जांच या निरीक्षण के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपी जायेगी।□; और

iii) विद्यमान उप-धारा 3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के तलाशी या अभिग्रहण से संबंधित उपबंध, इस धारा के अधीन की गयी प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण के लिए, *यथावश्यक परिवर्तन सहित,* लागू होंगे।□।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 63 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 63 की विद्यमान उप-धारा 3) हटायी जायेगी।

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 122-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 122-क में,-

i) खण्ड ङ) में, अन्त में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा;

ii) विद्यमान खण्ड च) के स्था न पर निम्नलिखित खण्ड जोड़े जायेंगे, अर्थात्:-

"च) सोसाइटी के सदस्यों का एक रजिस्टर; और

छ) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय-समय पर अपेक्षा करे।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमें विदित है कि सहकार के मूल सिद्धान्त हैं सदस्यों का मानवीय रूप में जुड़ना और न कि पूंजीपतियों के रूप में। सहकारी सोसाइटी संगठन का एक ऐसा रूप है जहां व्यक्ति, इसके सदस्यों के आर्थिक हितों के संवर्धन के लिए समानता के आधार पर मानवीय रूप में सहयुक्त होते हैं। यह आंदोलन नैतिक आधार पर कारबार या अन्य क्रियाकलाप करने की एक पद्धति है। राजस्थान सरकार ने सहकार आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए और सहकारी सोसाइटियों के नियन्त्रण और विनियमन के लिए, राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 2002 का अधिनियम सं. 16) अधिनियमित किया था।

उक्त अधिनियम की धारा 31 यह उपबंध करती है कि सोसाइटी का पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और संपत्ति का प्रभार मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, जो सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और संपत्ति का समग्र न्यासी होगा, सौंपेगा और जहां ऐसा कोई पदावरोही अधिकारी या सदस्य अभिलेख और संपत्ति का प्रभार सौंपे जाने से इंकार करता है, वहां रजिस्ट्रार के पास उप-धारा 2) के अधीन सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति की तलाशी, अभिग्रहण और कब्जे में लेने के लिए प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, किंतु इस उप-धारा के अधीन प्रक्रिया विलम्बकारी है। इसलिए, विद्यमान उप-धारा 2) और 3) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। अब, यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों और अभिलेखों को दबा दिये जाने, बिगाड़ दिये जाने या नष्ट कर दिये जाने की संभावना है या किसी सोसाइटी की निधियों तथा सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किये जाने की संभावना है, तो उसे तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों और संपत्ति को अभिग्रहण करने के लिए सशक्त किया जा रहा है । इसी तरह, धारा 31 की उप-धारा 1) के पश्चात् एक परंतुक जोड़ा जाना प्रस्तावित है, जिसमें एक ऐसी स्थिति का उल्लेख है कि यदि किसी

सोसाइटी के लेखाओं की धारा 54 के अधीन लेखापरीक्षा करायी जानी है या धारा 55 के अधीन जांच की जानी है या धारा 55-क के अधीन निरीक्षण किया जाना है तो सोसाइटी के अभिलेखों, पुस्तकों और लेखाओं या इसके लिए आवश्यक ऐसे अन्य किन्हीं दस्तावेजों को लेखापरीक्षा या जांच या निरीक्षण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपा जायेगा।

धारा 63 की उप-धारा 3) विधिक बाधा के रूप में कार्य कर रही है क्योंकि यह आदेशित करती है कि जहां धारा 104 के अधीन कोई अपील की जाती है वहां धारा 61 के अधीन किया गया किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि अपील में ऐसे आदेश की पुष्टि नहीं हो जाती है। परिणामत:, समापक अस्तित्वहीन हो जाता है। इसलिए, धारा 63 की उप-धारा 3) को हटाया जाना समीचीन समझा गया है।

धारा 122-क विवरणियां फाइल करने का उपबंध करती है। विवरणियों के प्रवर्ग में सोसाइटी के सदस्यों के रजिस्टर को सम्मिलित करना भी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

आंजना उदयलाल,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 2002 का अधिनियम सं. 16) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

31. अभिलेखों इत्यादि का कब्जा प्राप्त करना.- 1) जहां किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुनर्गठन किया जाता है या धारा 30 के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को हटा दिया जाता है या सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नियमों के अधीन परिवर्तित हो जाता है तो समिति का प्रत्येक पदावरोही सदस्य, यदि उसके पास सोसाइटी के किन्हीं अभिलेखों या सम्पत्ति का प्रभार है, अथवा सोसाइटी का पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का प्रभार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का समग्र न्यासी होगा, को सौंपेंगे:

परन्तु ऐसी सोसाइटियों में जहां कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी नहीं है, वहां सोसाइटी का सचिव और यदि कोई सचिव भी नहीं है तब सोसाइटी का अध्यक्ष, सोसाइटी के समस्त अभिलेख और सम्पत्ति का न्यासी समझा जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां धारा 61 के अधीन सोसाइटी के परिसमापन का आदेश दिया जाता है, सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार धारा 63 के अधीन नियुक्त समापक को सौंपा जायेगा।

2) यदि ऐसा कोई भी पदावरोही अधिकारी या सदस्य, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या, यथास्थिति, समापक को अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार सौंपे जाने से इंकार करता है, या जहां रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिये जाने, बिगाड दिये जाने या नष्ट कर दिये जाने की संभावना है या किसी सोसाइटी की निधियों तथा

सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोग किये जाने की संभावना है तो सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या, यथास्थिति, समापक या रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति की तलाशी, अभिग्रहण और कब्जे में लेने के लिए ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता में उक्त सोसाइटी कार्य कर रही है।

3) उप-धारा 1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट, वारंट द्वारा किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे किसी संभावी स्थान में, जिसमें अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी जाती है या रखे जाने का विश्वास किया जाता है, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को अभिगृहित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या सचिव या अध्यक्ष या समापक को या रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दी जायेगी।

XX XX XX XX XX XX

63. समापक.- 1) से 2) XX XX XX XX XX

3) जहां धारा 104 के अधीन कोई अपील की जाये वहां धारा 61 के अधीन किया गया किसी सरकारी सासाइटी के परिसमापन का कोई आदेश तत्पश्चात् तब तक प्रवर्तित नहीं होगा जब तक कि अपील में आदेश की पुष्टि न कर दी जाये:

परन्तु समापक उप-धारा 2) में उल्लिखित सम्पत्ति, चीजबस्त और अनुयोज्य दावों को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखे रहेगा और उसे उस उप-धारा में निर्दिष्ट किये गये कदम उठाने का प्राधिकार होगा।

4) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

122-क. विवरणियों का फाइल किया जाना.- प्रत्येक सोसाइटी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेंगी, अर्थात:-

क) से घ)

ङ) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हो, संचालन करने के बारे में घोषणा; और

च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय-समय पर अपेक्षा करे।

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 17 of 2023

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 31, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In sub-section (1) of section 31 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in second proviso, for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after the second proviso so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided also that where accounts of a society is to be audited under section 54 or inquiry is to be conducted under section 55 or an inspection is to be conducted under section 55-A, the records, books and accounts of the society or any other such documents required for, shall be handed over to the person authorized for audit or enquiry or inspection.";

(ii) for the existing sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) If any such outgoing officer or member, refuses to hand over the charge of the record and property to the Chief Executive Officer or the Secretary or the Chairperson or the Liquidator of the society or the person authorized for audit or inquiry or inspection or as the case may be, or where the Registrar is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with, or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Registrar himself or the person authorized by him shall have the power to search and seize such records and property. The records and property so seized shall be handed over to the Chief Executive Officer or the Secretary or the Chairperson or the Liquidator of the society or the person authorized for audit or inquiry or inspection or any person authorized by the Registrar, as the case may be."; and

(iii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure,1973 (Central Act No. 2 of 1974), relating to searches or seizures shall apply *mutatis mutandis* to every search or seizure made under this section.".

3. Amendment of section 63, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- The existing sub-section (3) of section 63 of the principal Act shall be deleted.

4. Amendment of section 122-A, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 122-A of the principal Act,-

(i) in clause (e), the existing word "and" appearing at the end shall be deleted;

(ii) for the existing clause (f), the following clauses shall be added, namely:-

"(f) a register of members of society; and

(g) such other information, as the Registrar may require, from time to time.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

We are aware that basic principles of co-operation are that the members join as human beings and not as capitalists. The Co-operative Society is a form of organization wherein persons associate together as human beings on the basis of equality for promotion of economic interest of its members. This movement is a method of doing the business or other activities with ethical base. To give fillip to the co-operative movement and for control and regulation of Co-operative Societies, the Government of Rajasthan enacted the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002).

Section 31 of the said Act provides that outgoing Chief Executive Officer of the society shall hand over charge of all the records and property of the society to the Chief Executive Officer, who shall be the overall trustee of all the records and property of the society and where any such outgoing officer or member, refuses to hand over the charge of the record and property then Registrar has no option except to apply to the Judicial Magistrate of the First Class for searching, seizing and taking possession of the records and property of the society under sub-section (2) but the process under the sub-section is dilatory. Therefore, the existing sub-sections (2) and (3) are proposed to be substituted. Now, the Registrar is being empowered to search and seize such records and property if he is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with, or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied. Likewise, a proviso is proposed to be added after sub-section (1) of section 31 wherein a situation is described that in case accounts of a society is to be audited under section 54 or inquiry is to be conducted under section 55 or an inspection is to be conducted under section 55-A, the records, books and accounts of the society or any other such documents required for, shall be handed over to the person authorized for audit or enquiry or inspection.

Sub-section (3) of section 63 is serving as a legal barrier because it mandates that where an appeal is preferred under section 104, an order of winding up of a co-operative society made under

section 61 shall not operate until the order is confirmed in appeal. Resultantly, Liquidator has become a nonentity. Therefore, it is considered expedient to delete sub-section (3) of section 63.

Section 122-A provides for filing of returns. It is also proposed to include the register of members of a society in the category of returns.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

आंजना उदयलाल,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2001

(Act No. 16 of 2002)

XX XX XX XX XX XX

31. Securing possession of records etc.- (1) Where the committee of a co-operative society is reconstituted under the provisions of this Act or the committee of a cooperative society is removed by the State Government or the Registrar under section 30 or, the Chief Executive Officer of the society is changed under the rules, every outgoing member of the committee, if he is in charge of any of the records or property of the society, or the outgoing Chief Executive Officer of the society shall hand over charge of all the records and property of the society to the Chief Executive Officer, who shall be the overall trustee of all the records and property of the society:

Provided that in societies where there is no Chief Executive Officer, the Secretary of the society and if there is no Secretary also, then the Chairperson of the society shall be deemed to be the trustee of all the records and property of the society:

Provided further that where the society is ordered to be wound up under section 61, the charge of the record and property of the society shall be handed over to the Liquidator, appointed under section 63.

(2) If any such outgoing officer or member, refuses to hand over the charge of the record and property to the Chief Executive Officer or the Secretary or the Chairperson or the Liquidator of the society as the case may be or, where the Registrar is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with, or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Chief Executive Officer or the Secretary or the Chairperson or the Liquidator of the society, as the case may be or the Registrar or a person authorized by the Registrar may apply to the Judicial magistrate of the First Class, within whose jurisdiction the society is functioning, for searching, seizing and taking possession of the records and property of the society.

(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Magistrate may, by a warrant, authorise any police officer, not below the rank of a Sub-Inspector, to enter the likely places, where the records and the property are kept or are believed to be kept, and to search and to seize such records and property; and the records and property so seized shall be handed over to the Chief Executive Officer or the Secretary or the Chairperson or the Liquidator of the society or the Registrar, or the person authorised by the Registrar, as, the case may be.

XX XX XX XX XX XX

63. Liquidator.- (1) to (2) xx xx xx xx

(3) Where an appeal is preferred under section 104, an order of winding up of a co-operative society made under section 61 shall not operate thereafter until the order is confirmed in appeal:

Provided that the Liquidator shall continue to have custody or control of the property, effects and actionable claims mentioned in sub-section (2) and have authority to take the steps referred to in that sub-section.

(4) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

122-A. Filling of returns - Every society shall, within six months of the close of every financial year, file the following returns to the Registrar, namely:-

(a) to (d) xx xx xx xx

(e) declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of elections, when due; and

(f) such other information, as the Registrar may require, from time to time.

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 17 of 2023

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001..

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Anjana Udailal, **Minister-Incharge**)

2023 का विधेयक सं. 17

राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(आंजना उदयलाल, **प्रभारी मंत्री)**